Regarding returning of Ariha Shah from German Foster Care Home

SHRI NARESH GANPAT MHASKE (THANE): Hon. Chairperson, Sir, a baby girl named Ariha Shah, aged about three-and-half years, daughter of Shri Bhavesh Shah and Dhara Shah from Mira- Bhayandar area of my constituency, is in custody of German Government and her parents are praying intensely and persistently for her release.

I am really thankful that you have given me an opportunity to raise this issue.

साढ़े तीन साल की यह बच्ची जब सात महीने की थी, तब जर्मनी के फोस्टर केयर होम ने उसे अपने माता-पिता से छीन लिया था । आरोप यह लगाया गया कि उसके माता-पिता ने बच्ची को चोट पहुंचाई है । हालांकि, पुलिस जांच में आरोप साबित नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी जर्मनी के यूथ वेलफेयर ऑफिस ने बच्ची को वापस करने से इनकार कर दिया । वह बच्ची 36 महीनों से भी ज्यादा समय से जर्मनी की कस्टडी में फॉस्टर केयर में है । वह बच्ची जैन अभिभावक की बच्ची है । इसलिए उनके जर्मनी में रहने से उनके जो सांस्कृतिक अधिकार हैं, वे भी उनसे छीन लिए गए हैं ।

गुजरात की चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी ने उसको कस्टडी में लेने की सहमति दिखाई है । अहमदाबाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने अरिहा के लिए एक फोस्टर परिवार भी ढूंढ़ा है, लेकिन जर्मनी की सरकार उनको उनकी बच्ची वापस नहीं दे रही है । इसलिए विदेश मंत्री द्वारा जर्मन सरकार से संवाद करके उस बच्ची को न्यायिक तौर पर उसके माता-पिता को वापस करना चाहिए । उस बच्ची की माँ बहुत दिनों से हर एक सांसद से मिल रही है, दिल्ली आ रही है, गुजरात जा रही है। वह रो रही है इसलिए उनकी साढ़े तीन साल की बच्ची को वापस करने के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए । इसलिए ही मैंने इस विषय का जीरो आवर में उल्लेख किया है ।